

जोधपुर की दो प्रमुख अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल मिला

जोधपुर मेट्रो और जोधपुर जिला कोर्ट (डीजे कोर्ट) को बम से उड़ाने की धमकी मिली

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान की न्यायालयों को निशाना बनाकर बम की झूठी धमकियां देने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सोमवार को एक बार फिर जोधपुर की दोनों प्रमुख निचली अदालतों- जोधपुर मेट्रो और जोधपुर जिला कोर्ट (डीजे कोर्ट) को बम से उड़ाने की धमकी के ई-मेल मिले। यह धमकी दोनों कोर्ट के ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर भेजी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट परिसर को तुरंत हतियारवात खाली करवा लिया। उदयमंदिर थाना पुलिस सहित भारी पुलिस बल और

- मौके पर भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां पहुंची और जांच की
- संयुक्त टीमों ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। पूरे कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया। बम की धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली करवाकर पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीमों ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन फिलहाल यहां

कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह जब कोर्ट की नियमित कार्रवाई शुरू हुई और अदालतों में मुकदमों को सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान कोर्ट परिसर ने अपना ऑफिशियल ई-मेल चेक किया। इस ई-मेल में जोधपुर

मेट्रो और जोधपुर ग्रामीण, दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों में बम रखे होने और धमके करने की बात लिखी गई थी। इस पर कोर्ट अधिकारियों ने सुबह करीब 11 बजे तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम और उदयमंदिर पुलिस व अन्य आला अधिकारियों को दी। कुछ ही देर में उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोत्रा सहित अन्य की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कोर्ट परिसर पहुंच गए। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते

हुए पुलिस ने सबसे पहले कोर्ट रूम और पूरे परिसर को सुरक्षित रूप से खाली करवाया। वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों, जजों और अपने मुकदमों की तारीख पर आए आम पक्षकारों को तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल दिया गया। बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) और प्रशिक्षित डॉग स्व्वायड की टीमों को भी बुलाया गया। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कोर्ट के चप्पे-चप्पे की सघन जांच की। हर एक कमरे, वकीलों के बैक्स, वाहनों की पार्किंग, कचरा पात्रों और लावारिस पड़ी संदिग्ध वस्तुओं को बारीकी से चेक किया।

डोडा-पोस्त के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार अवैध डोडा-पोस्त को राजस्थान से पंजाब बेचने जा रहा था तस्कर, कार भी जब्त

श्रीगंगानगर, (निर्सं)। जिले की सादुलशहर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 किलो 50 ग्राम अवैध डोडा-पोस्त जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई हनुमानगढ़ एएनटीएफ की सूचना पर की है।

सादुलशहर थाना प्रभारी मलकियत सिंह मान ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पंजाब के फाजिल्का जिले के रहने वाले आरोपी को 30 किलो 50 ग्राम अवैध डोडा-पोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवहन में यूज करना कार्भी जन्त कर ली गई। पुलिस ने पीटीपी नहर पुलिस सादुलशहर पर नाकाबंदी

की थी। यहां चौकी मालारामपुरा (हनुमानगढ़) के एएनटीएफ जवान घनश्याम की सूचना पर संदिग्ध वर्ना कार को रोका गया। तलाशी में कार से 30 किलो 50 ग्राम डोडा-पोस्त जब्त हुआ। इसके बाद कार को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान सुखविंद सिंह (43) फाजिल्का, पंजाब के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ एनटीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे नशा तस्करी से जुड़े और भी कई खुलासे होने की संभावना है।

जोधपुर शहर में हल्की बारिश हुई

जोधपुर, (कासं)। प्रदेश में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से शहर का मौसम सोमवार सुबह अचानक बदल गया। बारिश के चलते वातावरण सुहावना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। शहर के विभिन्न इलाकों में रुक-रुककर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक महसूस की गई। अचानक बदले मौसम के कारण लोग बारिश से बचने के प्रयास करते नजर आए। कई जगहों पर लोग छाता और रेनकोट का सहारा लेते दिखे, वहीं सड़कों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही रही। जोधपुर शहर में बादलों की आवाजाही के चलते धूप नहीं खिली। वहीं हल्की डंडी हवाएं भी चलने लगीं। मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अन्तर से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

सरवाड़ में कुएं से साला-बहनोई के क्षत-विक्षत शव बरामद

- दोनों 26 मार्च से लापता चल रहे थे, कुएं के भीतर एक बाइक भी बरामद हुई
- शवों की हालत और मौके के साक्ष्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया हत्या कर शव कुएं में फेंकने की आशंका जताई

बाइक भी बरामद हुई है। शवों को बाहर निकालने पर स्थिति काफी भयावह नजर आई। शव कई दिनों से पानी में होने के कारण फूल चुके थे। दोनों की आंखें बाहर निकली हुई थीं व चेहरे और सिर पर खून के गहरे निशान मिले। ग्रामीणों व चरमदीनों के अनुसार शरीर पर मिले चोट के निशान किसी संघर्ष या हमले की ओर इशारा कर रहे हैं।

भिनाय थाने के एएसआई रामाकिशन ने बताया कि सुरेन्द्र और उसका साला विष्णु 26 मार्च की शाम करीब नौ बजे बाइक लेकर घर से निकले थे। उन्होंने परिजनों को बताया था कि वे अष्टमी की पूजा का सामान लेने बाजार

जा रहे हैं लेकिन उसके बाद वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने 27 मार्च को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अजमेर से एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल और कुएं के आसपास से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं। फिलहाल दोनों शवों को भिनाय राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। थानाधिकारी ओमप्रकाश मोघा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो जाएगा।

15 हजार की रिश्वत लेते भू अभिलेख निरीक्षक गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट उदयपुर ने वल्लभनगर तहसील कार्यालय के भू अभिलेख निरीक्षक देवेन्द्रसिंह राणावत को पीड़ित से पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर को 13 फरवरी को एक शिकायत मिली की परिवारी की राजस्व ग्राम राणाकुई, पटवार हल्का गोटीया तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर में करीब पांच बीघा कृषि भूमि स्थित है। सेगिमेंशन कार्यवाही के दौरान जुटिवर उक्त भूमि की किस्त बरानी तृतीय के बजाय भवन दर्ज रिकार्ड हो गई थी। जिसकी शुद्ध हेतु परिवारी ने प्रार्थना पत्र तहसीलदार वल्लभनगर के समक्ष

पेश किया था। जिस पर तहसीलदार ने जांच हेतु संबंधित पटवारी पटवार मण्डल गोटीया को भेजा और परिवारी के उक्त भूमि शुद्धिकरण करने के एवज में तहसील कार्यालय वल्लभनगर के भू-अभिलेख निरीक्षक देवेन्द्रसिंह राणावत द्वारा परिवारी का उक्त कार्य करवाने के एवज में 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग की गई।

जिस पर एसीबी के डॉ. रामेश्वरसिंह, उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी, के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक लक्ष्मण डांगी मय टीम ने 13 फरवरी 2026 एवं 23 फरवरी 2026 को निरिक्षत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही करवाई गई। इस दौरान आरोपी देवेन्द्रसिंह राणावत द्वारा

परिवारी से उसकी उक्त भूमि की किस्म भवन के बजाय किस्म बरानी तृतीय का शुद्धिकरण दर्ज करवाने की एवज में रिश्वत राशि 15 हजार रूपये की मांग की गई। सत्यापन में मांग पुष्टि होने से रविवार को 29 मार्च को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी देवेन्द्रसिंह राणावत को परिवारी से अपनी मांग अनुसार 15 हजार रूपये रिश्वत गृहण करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी द्वारा उक्त शुद्धिकरण आदेश तहसीलदार वल्लभनगर से करवाने की बात कहते हुए रिश्वत राशि की मांग की गई है। इस मामले में तहसीलदार वल्लभनगर उदयपुर की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले में एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रवैयास्त्व के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है।

ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, दो की मौत

बीकानेर, (निर्सं)। जिले के नापासर थाना क्षेत्र के मुंडसर गांव में सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे में बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रास्ता बंद कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। बाइक सवार रामधर निवासी गोपाल और रामजस दोनों को ट्रक ने टक्कर मारी दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया।

- हादसे के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगाया

एएसआई कविंद्र कुमार ने बताया कि दोनों के शवों को नापासर के सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व सरपंच गोविंद राम मुंड और धर्मपाल मुंड के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। उनका कहना था यहां पहले ही हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए।

अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार

नोखा, (निर्सं)। थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस उससे हथियार की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हिंदादेसर गांव के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ संदिग्ध गतिविधियों में घूम रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंच कर गांव की रोही

में दबिशा दी। घेराबंदी कर पुलिस ने सुधारों का मोहल्ला निवासी भींयाराम गोदारा को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार और कारतूस जब्त कर लिए गए। पुलिस आरोपी से पिस्तौल की खरीद का स्रोत और इसमें किसी अन्य व्यक्ति या गिरोह की संलिप्तता के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही, यह भी जांच की जा रही है कि आरोपी इस हथियार का उपयोग किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में तो नहीं था।

डकैती की साजिश नाकाम, हथियार सहित पांच गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (निर्सं)। गोगामेड़ी थाना पुलिस ने डकैती की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक विदेशी पिस्टल, देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, लोहे का कापा और अन्य सामान बरामद किया है। यह कार्रवाई गोगामेड़ी क्षेत्र में एक खेत में की गई, जहां बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। मौके से पांच आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके दो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल (20), जसविंद (19), रामनिवास (19), अजय (21) निवासी गोगामेड़ी और अशोक (19) निवासी खचवाना के रूप में हुई है। फरार आरोपियों में सुनील उर्फ डेला निवासी जांडवाला (हरियाणा) और रामनिवास

- एक विदेशी पिस्टल, देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, लोहे का कापा और अन्य सामान बरामद
- पुलिस ने गोगामेड़ी क्षेत्र में एक खेत में कार्रवाई की, दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गये

निवासी कागदाना (हरियाणा) शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि जिले में संगठित

अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गोगामेड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश गांव के पास एक खेत में डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी चंद्रकला के नेतृत्व में एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कुछ लोग एकत्र होकर डकैती की योजना पर चर्चा कर रहे थे और हथियारों से लैस थे। पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ डकैती की साजिश और आर्म एंड एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूंकि फरार आरोपी हरियाणा के हैं, ऐसे में पुलिस गिरोह के अंतर्राज्यीय संबंधों की भी जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।

सीनियर सेकेण्डरी का परीक्षा परिणाम आज

अजमेर, (निर्सं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सेकण्डरी (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) तथा वरिष्ठ उपाध्यय परीक्षा का परिणाम मंगलवार 31 मार्च को प्रातः 10 बजे जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलवार ऑनलाइन जुड़कर परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। इस अवसर पर बोर्ड प्रशासक व

संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ एवं बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ बोर्ड कार्यालय से जुड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि सीनियर सेकण्डरी की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थीं। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकेंगे।

भरतपुर, (निर्सं)। रूपवास क्षेत्र के भरतपुर मार्ग स्थित गहनौली गांव के निकट खेत में विद्युत तार टूटकर गिरने से गेहूं की फसल में आग लग गई। वहीं करंट लगने से दो महिलाएं भी झुलस गईं। पीड़ित तारा भगौरा ने बताया कि विद्युत तार से डीपी तक तार नहीं ढीली होकर लटकी हुई थी।

फसल में आग लगी

अजमेर, (कासं)। आनासागर चौपाटी के फुटपाथ विक्रेताओं के बाद अब आगरा गेट क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को भी अदालत से बड़ी राहत मिली है। सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड) पश्चिम, अजमेर की अदालत ने एक आदेश जारी करते हुए आगरा गेट क्षेत्र में फल-फ्रूट का ठेला लगाने वाले वेंडर के विरुद्ध किसी भी बेदखली की कार्रवाई पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश लक्ष्मी मोहल्ला निवासी संदीप मेहरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में नगर निगम, अजमेर में संघस्थान सरकार (जिला कलेक्टर के माध्यम से) को पक्षकार बनाया गया था।

अजमेर : आगरा गेट के स्ट्रीट वेंडर्स को अदालत से राहत

- सिविल न्यायाधीश ने बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाई

रहे हैं, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया जा रहा था, जो उनके जीवन और रोजगार के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के ठेले को अग्रिम आदेश तक नहीं हटाया जाए तथा नगर निगम और जिला प्रशासन यथास्थिति बनाए रखें। पूर्व लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि यह आदेश स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम के तहत वेंडर्स के अधिकारों की पुष्टि करता है। यह निर्णय अन्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी राहत और उम्मीद लेकर आया है, जो लंबे समय से कार्रवाई के डर में व्यापार कर रहे हैं।

मालाखेड़ा में टैंकर ड्राइवरों ने समस्याओं को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया

अलवर, (निर्सं)। अलवर जिले के मालाखेड़ा में पानी के टैंकर ड्राइवरों ने अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के बाहर टैंकर खड़े कर ड्राइवरों ने कहा-जिन जगहों से वे पानी भरते हैं, वहां बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा वीडियो बनाकर वीसीआर (चालान) भरे जा रहे हैं। इस कारण उन्हें पानी भरने में परेशानी हो रही है। इस स्थिति से मालाखेड़ा क्षेत्र में पानी का संकट गहराने की संभावना जताई जा रही है। टैंकर ड्राइवरों ने बताया कि पिछले छह महीनों से जाट मोहल्ला, लक्ष्मणगढ़ रोड सहित कई क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। इससे पूरे गांव में पानी की व्यवस्था टैंकरों से ही की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले अलवर दरवाजा क्षेत्र में एक घर में आग लगने की घटना हुई थी, जहां दमकल की गाड़ी रास्ता न होने के कारण नहीं पहुंच सकी थी। उस समय



टैंकरों के जरिए ही आग पर काबू पाया गया था। टैंकर ड्राइवर महेंद्र ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा लगातार वीसीआर भरने से वे टैंकर नहीं भर पा रहे हैं। इससे गर्मियों के सीजन में हालात और खराब हो सकते हैं। उन्होंने कहा

- ड्राइवरों ने कहा कि जिन जगहों से वे पानी भरते हैं, वहां बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा वीडियो बनाकर वीसीआर (चालान) भरे जा रहे हैं
- चालान भरने से पानी भरने में परेशानी, इस स्थिति से मालाखेड़ा क्षेत्र में पानी का संकट गहराने की संभावना जताई

को रोका जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

नाबालिग का शव मिला

कोटा, (निर्सं)। कोटा जिले के आरकेपुरम थाना इलाके में सोमवार को एक नाबालिग का शव पेड़ पर फंसे पर लटका मिला। पेड़ पर फंदा लगाकर नाबालिग के सुसाइड करने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पेड़ पर लटके नाबालिग को नीचे उतारकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी के अनुसार नाबालिग बिना बताये घर से निकल गया था जो घर से थोड़ी दूरी पर पेड़ पर फंदा पर लटका मिला। नाबालिग के फंदा पर लटके होने की सूचना पर पुलिस व परिजन पहुंचे। आरकेपुरम थानाधिकारी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि नाबालिग के पेड़ पर लटके होने की सूचना मिली, सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची जहां नाबालिग ने गमछे से फंदा लगाकर पेड़ पर लटककर सुसाइड कर लिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, फिलहाल सुसाइड के पीछे कोई कारण सामने नहीं आया है, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur
 सेक्टर-18, कुमा गांव, प्रताप नगर, जयपुर-302033
 दूरभाष: 0141-279515, 0141-2795508, 2795536,
 Email: registrar@ruhsraj.org, ruhsstos@gmail.com
 No. F.6 (049)/RUHS/Store/2025-26/42049 Dated: 25/03/2026
(ई-निविदा सूचना)
 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में रवी सामग्री (प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाएं, प्रयुक्त लिफाफे, लोहे के बक्सों, ओ.एम.आर. शीट, अखबार इत्यादि) विक्री (नीलामी) के लिये दर प्राप्ति हेतु दिनांक 01 / 04 / 2026 को दोपहर 02:00 बजे तक ई- करन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत 60.00 लाख) निविदा से संबंधित समस्त सूचना हेतु ई-निविदा प्रश्न वेबसाइट http://sppp.raji.nic.in or www.ruhsraj.org. or http://eproc.rajjasthan.gov.in पर उपलब्ध है। (UBN No. RUH2526WSOB00033) कुलसचिव राज.संवाद./सी/25/23551 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना
Rajasthan Medical Services Corporation Limited, Jaipur
 D-Block, Swasthya Bhawan, C-Scheme, Jaipur - 302005
 Ph. No. 0141-2223887, Fax No. 0141-2228065 E-Mail- edepm@rsmc-rj@nic.in
 No.F-8(j) RMSC/EPM/4-NIB-933/2025-26/1903 Dated: 24-03-2026
Corrigendum / Addendum
 Bid for item
 1. Deep Freezer, Fowler Bed, Stead Bed, Foot Step, Syringe Infusion Pump, Glucosstrip & Pulse Oxymeter (Handheld),
 2. White Box (Sharp Container), & Transport Trolley (Wheel Barrow) Reserve for MSE, Rajasthan Only
 are invited from interested bidders upto Date: 31.03.2026: 06:00 P.M. Other particulars of the Corrigendum / Addendum may be visited on Procurement portal website "https://sppp.rajjasthan.gov.in" or "www.dpronline.org" or "https://eproc.rajjasthan.gov.in" or website "http://rsmc.health.rajjasthan.gov.in".
 UBSN - (MSC2526WSOB00056)
 Raj.Samwad/C/25/23535 Executive Director (EPM)

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
निविदा सूचना संख्या 43 एवं 44 / 2025-26
 केन्द्र / राज्य सरकार के विभागों एवं उनके उपकरणों में 'अ' अथवा 'अअ' श्रेणी एवं रा.रा.वि.प्र. नि.नि. में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदाकारों से निविदा सूचना संख्या 43 एवं 44 / 2025-26 में निर्णित कार्य हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता (सिविल) कार्यालय के लिये निम्नलिखित प्रकार में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट http://eproc.rajjasthan.gov.in व www.rvpn.co.in एवं http://sppp.raji.nic.in पर उपलब्ध है।
 UBN :- VPN2526WSOB03499 to VPN2526WSOB03501(3), VPN2526WSOB03508 to VPN2526WSOB03518(11), VPN2526WSOB03520 to VPN2526WSOB03525(5), VPN2526WSOB03526(1), VPN2526WSOB03538 (1), VPN2526WSOB03540 to VPN2526WSOB03541 (2)
 अधीक्षक अभियंता (सिविल) जयपुर
 राज.संवाद./सी/25/23554 रा.रा.वि.प्र./TR/7462/2026